गोपनीय/महत्वपूर्ण

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव।

अर्द्ध0शा0प0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2
उत्तर प्रदेश शासन।
कार्मिक अनुभाग-2
लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 1988

प्रिय महोदय,

अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति स्वीकार न किये जाने के संबंध में जारी पार्श्वांकित आदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि इन आदेशों में स्पष्ट किया जाता रहा है कि सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेवा-विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति अथवा दैनिक वेतन पर नियुक्ति स्वीकार न की जाय। अत्यन्त विधिक एवं वैज्ञानिक पद हेतु प्रयत्न के बावजूद भी उपयुक्त प्रतिस्थानी उपलब्ध होना सम्भव न हो पा रहा हो और जनहित में पुनर्नियुक्ति/सेवाविस्तार स्वीकार करना अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक हो जाय तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञों के पदों पर कन्सलटेंट के रूप में अधिक से अधिक दो वर्ष तक के लिए अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के पूर्व परामर्श एवं सहमति के आधार पर विचार किया जाय।

1-शा0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दि0 25-10-1980
2-शा0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दि0 26-4-1985
3-अर्द्ध0शा0प0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 7-10-1985
4-शा0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 22-7-1987
5-अर्द्ध0शा0प0सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 24-5-1988

2- सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति विषयक समय-समय पर जारी आदेशों में प्रयुक्त शब्द "जनहित" का निर्वाचन करते हुए अभी हाल में सिविल मिस0 रिट संख्या-3702/87-बी0पी0 मिश्रा बनाम राज्य व अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारण किया गया है :-

"Rules are made and policies are laid down to be followed. Adherence to it by the highest is not only desireable but necessary as well as it not only tones up administration but percolates discipline in the bottom. Deviation from norms generates sychophancy and encourages wire pulling which is destructive of rule of fairness and impartiality .....

Public interest is an expression of wide connotation. But its meaning is to be understood in the context in which it has been used. So far as its use in the Government Orders referred to earlie is concerned it hardly leaves any room for doubt that it has to be understood in a narrow sence antitling government to exercise its power merely for betterment of the institution and not to benefit a particular person. Public interest is not a cloak for ignoring rules. Any authoity how so ever high if it acts in violation of or against the rules and orders then the action become contrary to public interest as observance of law is public interest and not otherwise .....

Power esercised in conformity with express words used in the rule or an order is said to be in good faith and in accordance with law. An order which is contrary to rules can not be sustained even it was not passed due to bias or motive."

3- माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उक्त अभिनिर्धारण को उचित ठहराया है । आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में विचार करते समय उक्त अभिनिर्धारण को विशेष रूप से दृष्टिगत रखा जाए ।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा ।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन ।

सं0-1/2/1973(1) कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
जय दयाल पुरी,
संयुक्त सचिव।